छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 635/2008*</u>

1.	श्री परमानंद देवांगन, ग्राम–मलपुरीकला, वि0खण्ड–धमधा, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)	–	अपीलार्थी

विरूद्ध

1.	जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)	–	प्रति अपीलार्थी

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 28 अक्टूबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री परमानंद देवांगन द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के समक्ष दिनांक 11.02.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 17.03.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15.04.2008 को आदेश पारित कर 15 दिवस में स्पष्ट रूप से निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु उसके बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 02.06.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में चूंकि खनिज अधिकारी द्वारा तालाब में पानी भरा होने से जॉच नहीं हो सकने के कारण समय चाहा गया था। आयोग द्वारा तालाब में पानी कम हो जाने के बाद सभी पक्षों आदि को बुलाकर उनके समक्ष जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। दिनांक 09.06.2009 को खनिज अधिकारी द्वारा निर्देशानुसार जॉच कराकर रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करने की सूचना दी गई, तब कलेक्टर को रिपोर्ट पर कार्यवाही पूर्ण कर निःशुल्क जानकारी अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये गये। प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक को खनिज अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि जॉच पंचनामा और सीमांकन के बाद अस्थायी अनुज्ञा पत्र धारी जनकलाल साहू से राशि 151635/– रूपये की अतिरिक्त वसूली करने का निर्णय लिया गया और इसकी वसूली के लिए कलेक्टर द्वारा दिनांक 13.08.2009 को वसूली पत्र जारी किया गया है तथा इससे संबंधित कागजात भी अपीलार्थी को दे दिये गये हैं। किन्तु अंतिम बहस के समय अपीलार्थी द्वारा यह बताया गया कि वसूली के लिए निकाली गई यह राशि काफी कम है और इससे काफी अधिक मात्र में खनिज उस तालाब से निकाला गया था। चूंकि आयोग के निर्देश के बाद करायी गई जॉच में यह अतिरिक्त वसूली निकाली गई थी। अतः शासकीय राजस्व के हित में सचिव, छ0ग0 शासन, खनिज साधन विभाग एवं कलेक्टर, दुर्ग को अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपर कलेक्टर, दुर्ग तथा संचालनालय, खनिज साधन के किसी वरिष्ठ अधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर इस प्रकरण में एक बार और जॉच करा लें और यह सुनिश्चित करें कि अधिक खनिज तो वहॉ से नहीं निकाला गया है और अतिरिक्त वसूली की निकाली गई राशि से अधिक की राशि तो वसूली योग्य नहीं निकलती है। यदि अधिक वसूली की स्थिति हो तो वह राशि निश्चित की जाकर इस संबंध में आगे नियमानुसार कार्यवाही की जावे और यदि पूर्व में की गई जॉच में किसी अधिकारी की त्रुटि पायी जाती है तो उनके विरूद्ध भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने की अनुशंसा धारा–20(2) के अन्तर्गत की जाती है। साथ ही प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत कलेक्टर कार्यालय, (खनिज शाखा) दुर्ग की ओर से अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 1000/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com